राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.9(56)डीएमई/जोध./2020–21 जयपुर, दिनांकः 27 MAY 2022

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
चिकित्सा महाविद्यालय,
जोधपुर।

विषयः– बजट घोषणा संख्या 19 वर्ष 2021–22 के कियान्वयन में जिला अस्पताल पावटा, जोधपुर की शैय्याओं की संख्या 150 से बढ़ाकर 300 किये जाने एवं नवीन पदों के सृजन के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक 7415 दिनांक 10.3.2022 एवं क्रमांक 782 दिनांक 24.05.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि बजट घोषणा संख्या 19 वर्ष 2021–22 के कियान्वयन में जिला अस्पताल पावटा, जोधपुर की शैय्याओं की संख्या 150 से बढ़ाकर 300 किये जाने की कियान्विति में निम्नांकित नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	नर्सिंग अधीक्षक	01
2.	नर्स श्रेणी प्रथम	07
3.	नर्स श्रेणी द्वितीय	35
4.	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन (01) लैब टेक्नीशियन (02)	03
5.	तकनीकी सहायक	01
6.	प्रयोगशाला सहायक	01
7.	कनिष्ठ लेखाकार	01
8.	सहा. लेखाधिकारी द्वितीय	01
9.	वरिष्ठ सहायक	01
10.	कनिष्ठ सहायक	02
11.	ओ.टी. टेक्नीशियन	01
	योग	54

(i) जिला चिकित्सालय पावटा में वार्ड बॉय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 05 पदों, सफाईकर्मी के 07 पदों, लिफ्ट मैन के 02 पदों से संबंधित सेवाएं तथा 02 मशीन विथ मैन की सेवाएं सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से RTTP Act/Rules के नियत प्रावधानों के अनुसार लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ व वरिष्ठ विशेषज्ञ के स्थान पर भविष्य में आवश्यकताओं के दृष्टिगत (MCI Norms/Unit Information for Specialisation) सहायक आचार्य, सहआचार्य, आचार्य के पदों के प्रस्ताव प्रेषित करावे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152200375 दिनांक 31.03.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(इकबाल खान)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा–1), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–1/बजट/आयोजना) विभाग।
5. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर।
10. सयुंक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
11. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
12. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

27/5/22
(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव